कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) प्रतापगढ़(राज)

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा तृतीय वेतन श्रृंखला शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक हेतु भर्ती परीक्षा 2013 में चयनित पृष्ठांकित अभ्यार्थियों को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के पत्रांक :– शिविरा–मा/संस्था/एफ–I/12102/शा०शिक्षक–ग्रेड –II व III भर्ती 2013/आयु सीमा/2017 दिनांक 16.11.2017 द्वारा नियुक्ति प्रदान करने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाकर पदस्थापन आदेश जारी करने के निर्देशों की पालना में निम्नांकित आशार्थियों को तृतीय वेतन श्रृंखला शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में स्पष्ट रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरिक्षित वेतन मान) नियम 2017 के अनुसार पै मेट्रिक्स में लेवल L-10 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार दैय नियत मानदेय 23700 अक्षरे तैबीस हजार सात सौ रू (पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन) पर नियुक्ति प्रदान की जाती है । राज्य सरकार के पत्र क्रमांक :–प 8(1) कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजना अन्तर्गत होगी ।

सम्बन्धित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे :–

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी का सम्बंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधित सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, **इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया** जावेगा। पूर्व में राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा ।
2. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7(1) डी०ओ०पी०/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यार्थियों से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरुप कुल संतानों की संख्या 2 से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 10 /– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावें ।
3. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैद्यता सम्बन्धित जॉच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य पाये जाने के अध्यधीन प्रदान की जा रही है। अतः कार्यग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी से 10/– रूपये का नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक अथवा प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य या मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
4. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेज से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावें। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसक सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवायी जावें।
5. जो अभ्यर्थी बी०पी०ई०(तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) की प्रशैक्षिक योग्यता धारित करते हैं, उनकी एन० सी०टी०ई० से मान्यता नहीं होने के कारण नियुक्ति के पात्र नहीं माने जायेंगे। यदि ऐसे किसी अभ्यर्थी के नियुक्ति आदेश जारी किये गये है तो उन्हें कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें तथा उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवायी जावे।
6. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न खेलकूद प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाप्रधान से हस्ताक्षरित नहीं है तो उनके मूल खेलकूद प्रमाण पत्र पर सम्बन्धित संस्थाप्रधान के हस्ताक्षरित एवं प्रमाणीकरण की पुष्टी करने एवं उसकी सत्यापित प्रति अभिलेख में रखने के उपरान्त ही कार्यग्रहण कराया जावे ।
7. अन्य पिछडा वर्ग/विशेष मुल निवास प्रमाण पत्र का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवंम पति की आय के आधार पर आय प्रमाण पत्र जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपनी पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् बना हुआ हो प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवायी जावे । उपरोक्तानुसार अन्य पिछडा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछडा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावे ।

लगातार–2

8. धोलपुर/भरतपुर जिले का जाट जाति वर्ग को कार्मिक (क–2) विभाग के पत्र क्रमांक :–प.17(9) कार्मिक/क–2/2015 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा डी0बी0सी0 डब्ल्यू एल 6046/99/रतनलाल बागडी बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 10.08.2015 जाट समुदाय को राज्य अन्य पिछडा वर्ग में आरक्षण का लाभ देय नहीं होने संबंधि दिशा निर्देशों के क्रम में यदि धौलपुर/भरतपुर जिले के जाट जाति वर्ग के किसी अभ्यर्थी, जो अन्य पिछडा वर्ग के चयन वर्ग की रिक्तियों के प्रति चयनित है एवम् नियुक्ति आदेश जारी कर दिये गये हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवायी जावे ।
9. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को मूल आवेदन पत्र चस्पा छांयाचित्र (फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि वही अभ्यर्थी कार्यग्रहण करें, जिसका आवेदन पत्र पर छाया चित्र (फोटो) चस्पा है।
10. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति एतद्विषयक प्रसारित विज्ञप्ति के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय/ विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन , विभिन्न याचिकाओं , अपील के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहते हुए की गई है ।
11. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से उनकी पात्रता, आयु एवम् आरक्षण संबंधित समस्त दस्तावेजों की जॉच आवश्यक रूप से कर लेवें।
12. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवे कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचना एवं दस्तावेज सही है, इनके त्रुटीपूर्ण, इनके जाली अथवा कुट रचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा ।
13. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांकः–प.7(3) कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धुम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।

क्र. स.	वरीयता क्रमांक	वर्ग	आशार्थी का नाम , पिता का नाम व पता	जन्मतिथि	रोस्टर चयन वर्ग जिसके प्रति आशार्थी का चयन किया गया है	पदस्थापन स्थान
1	450A	BC	बाबुलाल पटेल पुत्र श्री पदमलाल पटेल ग्राम पो. सुलई तह. खेरवाडा जिला उदयपुर	15-01-73	GENM	रामावि लिंबरवाडा
2	2373	GE	युवराज सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह राणावत ग्राम पो नयाबोरिया तह. धरियावद जिला प्रतापगढ	08-03-78	TGEM	रामावि हजारीगुडा

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये **पदस्थापित स्थान पर दिनांक 04.12.2017 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा** , उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था की जावे एवम् शाला दर्पण पर इनकी सूचना अपडेट करें ।

(हेमेन्द्र कुमार उपाध्याय)
जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) प्रतापगढ़

क्रमांक–जिशिअ/माध्य/प्रताप/संस्था/शाशि ।।।/नियुक्ति/2017–18/1460 दिनांक 23.11.2017
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1 श्रीमान विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर ।
2 श्रीमान प्रमुख शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग,राजस्थान जयपुर ।
3 श्रीमान शासन उप सचिव (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर ।
4 श्रीमान शासन उप कार्मिक (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर ।
5 श्रीमान सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर
6 श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ।
7 श्रीमान शिक्षा उपनिदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक, उदयपुर मण्डल उदयपुर ।
8 संबंधित संस्था प्रधान राउमावि देवला।
9 संबंधित आशार्थी को पंजीकृत डाक द्वारा ....
10 नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा ।
11 रक्षित पत्रावली

जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) प्रतापगढ़